संख्या-60/2021/1147/26-3-2021

प्रेषक,

राकेश कुमार सचान,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण
उ0प्र0,लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 27 मार्च 2021

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-80 के अन्तर्गत राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित वृद्धावस्था पेंशन योजना में धनराशि का भुगतान किये जाने हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-1262/स0क0/एन0एन0ए0पी0/वृ0पे0यो0/ 2020-21, दिनांक-26.03.2021 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-80 के लेखाशीर्षक-2235-सामाािजक सुरक्षा तथा कल्याण, 60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, 102- समाज सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन, 0302-वृद्धावस्था/किसान पेंशन (राज्यांश)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में **धनराशि रू0-14000.00 लाख (रूपये एक अरब चालीस करोड़ मात्र)** को अनुदान संख्या-80 के लेखाशीर्षक-2225-अनु0जा0अनु0ज0जा0 तथा अन्य पिछड़े वर्गो के कल्याण, 01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-277-शिक्षा, 19-अनु0जा0 के दशमोत्तर कक्षाओं के छात्रों के छात्रवृत्ति, 00- 21-छात्रवृत्तियों और छात्रवेतन मद में उपलब्ध बचत की धनराशि से पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत किये जाने के प्रस्ताव पर राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः-

(1)-उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रायोजन हेतु नही किया जायेगा। किसी प्रकार की विचलन की स्थिति में आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(2)-स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय करने से पूर्व सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि पूर्व वर्षो में स्वीकृत की गयी कोई धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/ डाकखाना/ डिपाजिट आदि खातों में अवशेष जमा नही है।

(3)-उक्त धनराशि इस शर्त के साथ निर्गत की जा रही है कि इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/वित्तीय नियमों का कड़ाई से पालन किया जायेगा।

(4)-उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद तथा शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

(5)-वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक-24 मार्च 2020 में दिये गये दिशा-निर्देशांे का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6)-अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकता एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा।

(7)-स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिस मद हेतु धनराशि की व्यवस्था की गयी है।

(8)-प्रश्नगत प्रकरण में लम्बित देयता का भुगतान सत्यापन उपरांत सही पाने पर ही किया जायेगा।

(9)-धनराशि की उपलब्धता का दायित्व विभाग का होगा।

(10)-यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जिस मद से धनराशि संक्रमित की जा रही है उसमें चालू वित्तीय वर्ष के लिये उक्त प्रयोजन हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है तथा इस मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग नही की जायेगी।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-80 के लेखाशीर्षक-2235- सामाािजक सुरक्षा तथा कल्याण, 60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, 102- समाज सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन, 0302-वृद्धावस्था/किसान पेंशन (राज्यांश)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद के नामे डाला जायेगा तथा व्यय संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक में उपलब्ध बचतों से पुनविर्नियोग कर वहन किया जायेगा।

भवदीय,

राकेश कुमार सचान
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

पृ0संख्या-60/2021/1147 (1)/26-3-2021 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0,इलाहाबाद ।
2- महालेखाकर (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0इलहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
6- निदेशक, एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राकेश कुमार सचान
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति

(सम्बन्धित बजट मैनुअल का प्रस्तर 150)

अनुदान संख्या व नाम :- 80 राष्ट्रीय वृद्धावस्था /किसान पेंशन योजना समाज कल्याण विभाग

वित्तीय वर्ष 2020-21

(धनराशि लाख रू0 में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान/ विनियोग (2-6)
1	2	3	4	5	6
2225-01-277-19-00-21 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण 01-अनुसूचित जातियों का कल्याण 277-शिक्षा 19-अनुसूचित जाति के दशमोत्तर कक्षाओं के छात्रों को छात्रवृत्ति 00 21-छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	56588.000	18088.000	14000.000	14000.000	42588.000
योग	56588.000	18088.000	14000.000	14000.000	42588.000

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
2235-60-102-03-02-20 2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम 102- समाज सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन 03-वृद्धावस्था/किसान पेंशन-02-वृद्धावस्था/किसान पेंशन 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	**118632.000**	**136720.000**	**14000.000**	**14000.000**	**132632.000**
योग	**118632.000**	**136720.000**	**14000.000**	**14000.000**	**132632.000**

1. स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है- स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षकों में बचत वास्तविक आवश्यकता के अनुसार है।
2. स्तम्भ-8 में उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित व्यय निम्नलिखित कारणों से है-योजना/अधिष्ठान के क्रियान्वयन किए जाने के कारण।
3. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग से उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या-आर0ई0-708/दस-2021 दिनांक 27 मार्च, 2021

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम

उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

(हस्ताक्षर)

राकेश कुमार यादव

अनु सचिव

समाज कल्याण विभाग।

राजेन्द्र प्रसाद

अनु सचिव

वित्त विभाग

उ0।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

पृ०संख्या- 60 /2021/1147(1)/26-3-2021 तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय, उ०प्र०, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ०प्र० इलाहाबाद।
3- मुख्य कार्याधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ०प्र० लखनऊ।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4 / वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ०प्र० शासन।
6- राज्य योजना आयोग अनु०-1/2, उ०प्र० शासन।
7- निदेशक, एन०आई०सी० योजना भवन, लखनऊ।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राकेश कुमार सचान)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।